हज्ज और उम्रा की अनिवार्यता

[हिन्दी]

وجوب الحج والعمرة

[اللغة الهندية]

संकलन

सईद बिन अली बिन वह्फ अल-क़ह्तानी

د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني

(من كتاب الحج والعمرة والزيارة في ضوء الكتاب والسنة ص ٧-١١)

अनुवाद

अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह

ترجمة: عطاء الرحمن ضياء الله

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة

الرياض - المملكة العربية السعودية

इस्लामी आमन्त्रण एंव निर्देश कार्यालय रब्वा, रियाज़, सऊदी अरब

1429 - 2008

islamhouse.com

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

मैं अति मेहरबान और दयालु अल्लाह के नाम से आरम्भ करता हूँ।

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

हज्ज और उम्रा की अनिवार्यता

हज्ज की अनिवार्यता:

अरबी भाषा में हज्ज का अर्थ होता है 'क़सद करना, इच्छा और इरादा करना', फिर शरीअत के प्रयोग और उर्फे-आम में अधिकतर 'अल्लाह तआला के घर (खाना कअ्बा) का क़सद करने और वहाँ आने' के लिए बोला जाने लगा। चुनाँचे सामान्यतः हज्ज का शब्द बोलने से इसी विशिष्ट प्रकार का क़सद ही समझा जाता है; क्योंकि यही क़सद वैध और अधिकाँश रूप से पाया जाने वाला है।

शरीअत में हज्ज: विशिष्ट स्थान पर, विशिष्ट समय में, विशिष्ट व्यक्ति के द्वारा, कुछ विशिष्ट कार्यों के करने का नाम हज्ज है।

हज्ज उन पाँच स्तम्भों में से एक है जिन पर इस्लाम की नीव स्थापित है। हज्ज के अनिवार्य होने की दलील (प्रमार्ण) क़ुर्आन, हदीस और इज्माअ् (उम्मत के विद्वानों की सर्व सहमति) है:

अल्लाह तआला का फर्मान है :

﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗاۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٩٧﴾ [سورة آل عمران:٩٧]

''अल्लाह तआला ने उन लोगों पर जो उस तक पहुँचने का सामर्थ्य रखते हैं इस घर का हज्ज करना अनिवार्य कर दिया है, और जो कोई कुफ्र करे (न माने) तो अल्लाह तआला (उस से बल्कि) सर्व संसार से बेनियाज़ है।'' (सूरत आल-इम्रान:९७)

तथा पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फर्मान है :

“इस्लाम की नीव पाँच चीज़ों पर स्थापित है।” [१]

और आप ने उन में से एक स्तम्भ हज्ज का उल्लेख किया।

तथा एक दूसरी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया :

“ऐ लोगो! अल्लाह तआला ने तुम्हारे ऊपर हज्ज को अनिवार्य किया है। अतः तुम हज्ज करो...।” [२]

तथा उम्मत इस बात पर सम्मत है कि समर्थ (धनूवान) व्यक्ति पर जीवन में एक बार हज्ज करना अनिवार्य है।[३]

उम्रा की अनिवार्यता :

अरबी भाषा में उम्रा का अर्थ ‘ज़ियारत करना” होता हैं। और शरीअत मेंः एक विशिष्ट रूप में, एहराम, तवाफ, सई और बाल मुँडाने अथवा कटाने, फिर हलाल होजाने के साथ अल्लाह के प्राचीन घर की ज़ियारत करना।

उचित (शुद्ध) बात यह है कि उम्रा उस व्यक्ति पर अनिवार्य है जिस पर हज्ज अनिवार्य है, क्योंकि उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस से नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बारे में साबित है कि आप ने जिब्रील से फरमाया :

“... इस्लाम यह है कि तुम इस बात की गवाही दो कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा पूज्य नहीं और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अल्लाह के पैग़म्बर (ईश्तदूत) हैं, नमाज़ क़ाईम करो, ज़कात दो, हज्ज एंव उम्रा करो, जनाबत से (पत्नी से संभोग करने पर) स्नान करो, सम्पूर्ण वुज़ू करो और रमज़ान का रोज़ा रखो।”[४]

आईशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से कहा : ऐ अल्लाह के पैग़म्बर ! क्या महिलाओं पर जिहाद अनिवार्य है? आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उत्तर दिया :

“हाँ, उन पर ऐसा जिहाद अनिवार्य है जिस में लड़ाई-भिड़ाई नहीं है : वह हज्ज और उम्रा है।”[५]

अबू रज़ीन से रिवायत है कि उन्हों ने कहा : ऐ अल्लाह के रसूल ! मेरे बाप बहुत बूढ़े हो चुके हैं, वह हज्ज और उम्रा करने, तथा सवारी पर बैठने की ताक़त नहीं रखते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया :

---

1 बुखारी फत्हुलबारी के साथ १/४६, मुस्लिम १/४५

2 मुस्लिम २/६७५

3 अल-मुग्नी लिब्ने कुदामा ५/६

4 दारकुत्नी ने रिवायत करके इसके इस्नाद को साबित और सहीह कहा है २/२८३, बैहक़ी ४/३५०

5 इब्ने माजह, मुस्नद इमाम अहमद ६/१५६, अल्बानी ने सहीह इब्ने माजह २/१५१ में इसे सहीह कहा है।

"तो तुम अपने बाप की ओर से हज्ज और उम्रा करो।" [1]

इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं : **"कोई भी व्यक्ति नहीं है किन्तु उस पर हज्ज और उम्र अनिवार्य है।"**[2]

यही बात शुद्ध है जिस पर शरीअत के प्रमाण और तर्क स्थापित हैं कि उम्रा, हज्ज के समान फर्ज़ है और जीवन में एक बार उस आदमी पर अनिवार्य है जिस पर हज्ज अनिवार्य है। यही उमर, इब्ने अब्बास, ज़ैद बिन साबित, अब्दुल्लाह बिन उमर, जाबिर बिन अब्दुल्लाह और इनके अतिरिक्त अन्य सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के कलाम (कथन) का अर्थ है।[3]

हज्ज और उम्रा जीवन में केवल एक बार ही अनिवार्य है; क्योंकि इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की हदीस में है कि अक़रअ् बिन हाबिस रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से प्रश्न करते हुए कहा : ऐ अल्लाह के रसूल ! क्या हज्ज प्रति वर्ष है या केवल एक बार? आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उत्तर दिया :

"बल्कि केवल एक बार है, जो व्यक्ति इस से अधिक बार करे, तो यह नफ्ल है।" [4]

अनुवादक
(अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह)*
atazia75@gmail.com

(देखिए : अल-हज्ज वल-उम्रा वज़्ज़ियारह फी ज़ौइल किताब वस्सुन्नह, लेखक : सईद बिन अली बिन वह्फ अल-क़हतानी पृ० ७-११)

(مأخوذمن كتاب الحج والعمرة والزيارة في ضوء الكتاب والسنة لمؤلفه: سعيدبن علي بن وهف القحطاني ص ٧-١١)

---

[1] अहलुस्सुनन ने इसे रिवायत किया है और अल्लामा अल्बानी ने सहीह कहा है। देखिए : सहीहुन्नसाई २/५५६, सहीह अबू दाऊद १/३४१, सहीह इब्ने माजह २/१५२, सहीहुत्तिर्मिज़ी १/२७५

[2] बुखारी फत्हुलबारी के साथ ३/५६७

[3] देखिए : अल-मुग्नी लिब्ने कुदामा ५/१३, शरहुल उम्दा फी बयानि मनासिकिल हज्ज वल उम्रा लिशैखिल इस्लाम इब्ने तैमियह १/८८-६८, फत्हुलबारी ३/५६७, फतावा इब्ने तैमियह ६/२५६

[4] अबू दाऊद, नसाई, इब्ने माजह, अहमद इत्यादि तथा अल्बानी ने सहीह अबू दाऊद १/३२४, सहीह नसाई २/५५६, और सहीह इटने माजह २/१४८ में इसे सहीह कहा है।